न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 39/2022

श्री योगश योगी पुत्र गोपीनाथ निवासी ग्राम पोस्ट शोप तहसील उनियारा जिला टोक
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 03.11.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.7.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 770 दिनाक 04.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किये जाने पर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार उनियारा को निर्देशित कियां गया है। प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचनाः चाही गई:–

श्रीमान मेरे द्वारा 18.2.2022 को अतिकमण हटाने के संबंध में श्री मान जिला कलेक्टर महोदय को प्रर्थना पत्र भेजा गया था उसकी जांच और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश निचले अधिकारीयों को जो आदेश जारी किया गया था उसकी सत्यप्रति सूचना के अधिकार के तहत मूझे उपलब्ध कराने की कृपा करे। जांच आदेश व जांच कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र कमांक 1060 दिनांक 19.09.2022, 1087 दिनांक 29.09.2022, 1110 दिनांक 13.10.2022 व 1527 दिनांक 31.10.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
टोंक